

2019/00396

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 319/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया SMECC, जीवन निधि, एल आई सी बिल्डिंग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स भाग्य श्री सेनीटेशन प्रोपराईटर श्री अनूप डंगायच पुत्र श्री शम्भू दयाल
पता-105 लाजपत नगर, 200 फिट के पास, महल रोड, सी एम टावर के सामने, जगतपुरा, जयपुर।
2. श्री अनूप डंगायच पुत्र श्री शम्भू दयाल
पता- 67 ए, पुरुषार्थ नगर बी, जगतपुरा, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 18-11-2019



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 07.12.2015 को अनभुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में 105, लाजपत नगर, 200 फिट के पास, महल रोड, सी एम टावर के सामने, जगतपुरा, जयपुर पर स्थित चल सम्पत्ति स्टॉक फिनिश गुड्स, स्टोर्स, स्टॉक इन टांजिट सनडरी डेबिट्स, बुक डेब्ट्स रिसेवेबल एण्ड करन्ट एसेट्स इत्यादि को हाईपोथीकेटेड कर कुल रुपये 10,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

स्तदुआ की है।

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं हैं। प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.07.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। जिसकी अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) में

फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं किया गया है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से 105, लाजपत नगर, 200 फिट के पास, महल रोड, सी एम टावर के सामने जगतपुरा, जयपुर पर स्थित एवं हाईपोथीकेटेड चल सम्पत्ति स्टॉक फिनिशड गुड्स, स्टॉर्स, स्टॉक इन टांजिट सनडरी डेबिट्स, बुक डेब्ट्स रिसीवेबल एण्ड करन्ट एसेस्ट्स इत्यादि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।



4. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।
5. आदेश आज दिनांक 18-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर